1. Cat: SC/ST/OBC (PMS SCHOLARSHIP) Only For M.P. State

आवश्यक दस्तावेज 02 सेट मे प्रस्तुत करे

1. हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन की स्वसत्यापित छायाप्रति ।

2. ABC ID एवं NSP OTR की छायाप्रति ।

3. डिजिटल स्थाई जाति प्रमाण पत्र (स्वयं का) की स्वसत्यापित छायाप्रति ।

4. नवीनतम् डिजिटल आय प्रमाण-पत्र (पिता / पति / अभिभावक) (यदि पिता / पति / अभिभावक शासकीय सेवा मे है तो वह फार्म- 16 (2024-2025) प्रस्तुत करेगें एवं ग्रॉस सैलरी के आधार पर इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर संगलंग्न करे।) की स्वसत्यापित छायाप्रति ।

5. डिजिटल स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति ।

6. शपथ पत्र (पिता/अभिभावक की ओर से निवास, जाति एवं आय के संबंध मे)।

7. वर्तमान वर्ष की फीस रसीद एवं काउंसिलिंग एडमिशन स्लिप की स्वसत्यापित छायाप्रति ।

8. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) की स्वसत्यापित छायाप्रति केवल नवीन प्रवेशित छात्रों के लिए ।

9. हाईस्कूल (दसवी) से अभी तक की सभी परिक्षाओं की अंकसूचियों की स्वसत्यापित छायाप्रतियाँ ।

10. आधार कार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति ।

11. बैंक खाते की पासबुक की स्वसत्यापित स्वच्छ छायाप्रति ।

12. समग्र आई.डी. की स्वसत्यापित छायाप्रति ।

13. राशन कार्ड/ पात्रता पर्ची / सम्बल कार्ड/ खसरा की स्वसत्यापित छाया प्रति ।

नोट :- OBC कैटेगरी के लिए इनकम सीमा 3 लाख तक। SC/ST कैटेगरी के लिए इनकम सीमा 6 लाख तक

2.मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के माता पिता का म०प्र० शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्नातक/पॉलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अंतर्गत स्नातक/पॉलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठ्यक्रमों हेतु व्यय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म०प्र० निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जायेगा।

इंजीनियरिंग हेतु जेईई मॅन्स (JEE MAINS) परीक्षा में रैंक 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त/अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.50 लाख अथवा वास्तवित शिक्षण शुल्क जो भी कम हो।

मेडिकल की पढाई हेतु नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल/डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्राईवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत सरकार के संस्थार्नी जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, के अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी।

विधि की पढाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया हो।

भारत सरकार/राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंट्रीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित हैं) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर।

राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, पॉलीटेकनिक महाविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं आईटीआई (ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुए) में प्रवेश प्राप्त करने पर।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा/ डियौ एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर ।

Helpline No: 0755-2551698

Email: dhehelpline.mmjky@mp.gov.in

mmjkyhelpline.dte@mp.gov.in

3. एम.पी.टास पोर्टल पर अनुसूचित जाति आवास सहायता योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश एवं प्रक्रिया

आवास सहायता योजना के लिये पात्रता केवल उन्ही छात्रों की होगी, जो अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के लिये पात्र हों।

आवास सहायता योजना के लिये छात्र को अपने प्रोफाईल आई.डी. से एम.पी.टास पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करना होगा।

एम.पी.टास पोर्टल पर योजना के लाभ हेतु दो किश्तों में राशि प्रदान की जाती है-

प्रथम किश्त - माह जुलाई से माह दिसम्बर तक

द्वित्तीय किश्त माह जनवरी से माह जून तक

योजना के लाभ हेतु किराये की राशि की गणना महाविधालय संस्था में प्रवेश लेने की दिनांक अथवा

किराये से भवन लेने की दिनांक (जो भी बाद में होगी) से की जावेगी।

5. अनुसूचित जाति वर्ग के विधार्थियों को मकान मालिक के साथ किरायानामा रूपये 100/- के स्टॉम्प पेपर पर बनवाना आवश्यक है, अन्यथा योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा।

6. योजना का लाभ नोटरी दिनांक से ही देय होगा, एवं नोटरी की दिनांक स्टॉम्प पेपर कय की दिनांक के बाद की होना आवश्यक है।

7. किराया प्रारम्भ की दिनांक नोटरी दिनांक से ही भरी जाना आवश्यक है।

8. आवेदन में जाति का प्रमाणपत्र / विगत वर्ष की अंकसूची / कोई भी एक पहचान पत्र तथा स्टॉम्प पेपर पर बना किरायानामा पी.डी.एफ में अपलोड करना आवश्यक है।

9. किरायानामा में स्टॉम्प पेपर के पीछे का भाग जिस पर कय दिनांक अंकित होती है उसे भी अनिवार्यता अपलोड करें तथा मकान मालिक का कोई भी एक पहचान पत्र भी संलग्न करें। (इस प्रकार किरायानामा के तीन पृष्ठ तथा मकान मालिक का पहचान पत्र) कुल 04 पृष्ठ का पी.डी.एफ होना चाहिये।

10. समस्त आवश्यक दस्तावेजों को स्पष्ट वा पी.डी.एफ में अपलोड करें।

कृपया, संस्था में प्रवेशित छात्र/छात्रायें अनुसूचित जाति आवास सहायता आवेदन करते समय उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

4.एम.पी. टास पोर्टल पर जनजाति आवास सहायता योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश एवं प्रक्रिया

1.आवास सहायता यं जना के लिये पात्रता केवल उन्ही छात्रों की होगी, जो जनजाति छात्रवृत्ति योजना के लिये पात्र हों।

2.आवास सहायता योजना के लिये छात्र को अपने प्रोफाईल आई.डी. से एम.पी.टास पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करना होगा।

3.एम.पी.टास पोर्टल पर योजना के लाभ हेतु दो किश्तों में राशि प्रदान की जाती है-

प्रथम किश्त - माह जुलाई से माह दिसम्बर तक

द्वित्तीय किश्त माह जनवरी से माह जून तक

4.योजना के लाभ हेतु किराये की राशि की गणना महाविधालय संस्था में प्रवेश लेने की

दिनांक अथवा किराये से भवन लेने की दिनांक (जो भी बाद में होगी) से की जावेगी।

5. जनजाति वर्ग के विधार्थियों को किराये के प्रमाण हेतु केवल किराया द्वीपक्षीय घोषणापत्र में ही जानकारी भरकर अपलोड करना है। स्टॉम्प पेपर पर बने किरायानामा की आवश्यकता नही है।

6. आवेदन में जाति प्रमाणपत्र / कोई भी एक पहचान पत्र तथा द्वीपक्षीय घोषणापत्र अपलोड करना आवश्यक है।

7. किराया द्वीपक्षीय घोषणापत्र साथ मकान मालिक का कोई भी एक पहचान पत्र भी संलग्न करें।

8. समस्त आवश्यक दस्तावेजों को स्पष्ट वा पी.डी.एफ में अपलोड करें।

कृपया, संस्था में प्रवेशित छात्र/छात्रायें जनजाति आवास सहायता आवेदन करते समय उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

5.